कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
प्रकरण संख्या :– 06/2015 दायर दिनांक 06/04/2015
निर्णय दिनांक –3/6/15

1.श्रीमती कान्ता पिता थावरा कटारा जाति मीणा (भील) उम्र वयस्क निवासी ठाकरडा तहसील सागवाडा हाल अपनें पति श्री वजा मनात जाति मीणा निवासी माण्डव तहसील सागवाडा डूंगरपुर राजस्थान ।

2.श्रीमती मीर पिता थावरा कटारा जाति मीणा (भील) उम्र वयस्क निवासी ठाकरडा तहसील सागवाडा हाल अपनें पति श्री गलाया अहारी जाति मीणा निवासी सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1.श्री रामा पिता थावरा कटारा जाति मीणा (भील) उम्र वयस्क निवासी ठाकरडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

2. लैण्डहोल्डर तहसीलदार ,तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

–प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 रा0टी0एक्ट एवं सपठीत धारा 125,136 एल0आर0एक्ट0बाबत घोषणा एवं इंद्राज दुरस्ती ।

वादीगण ने एक वाद इस आशय का पेश किया,कि,वादीगण एवं प्रतिवादीगण सगे भाई–बहन है,जो थावरा पिता नाथीया भील के एकमात्र वारिसान है। जमाबन्दी संवत 2053–2056 के मौजा गुलाबपुरा पटवार हल्का ठाकरडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर के खाता नं 18(हाल),16/45(साबिक) में खसरा सं 354/136 रकबा 10बीधा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता श्री थावरा पिता नाथीया भील के खातेदारी , स्वामित्व , व कब्जेदारी में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता एवं माता की मृत्यू के बाद उक्त जमीन पर एक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

मात्र कब्जा व स्वामित्व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का है। तथा वादीगण अपने हिस्से पर खेती कर रहे है ।

वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु खाते की जानकारी लेने पर पता चला कि वादीगण का नाम रेवेन्यू खाते में दर्ज नही है तथा सम्पूर्ण आराजियान प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने भाई प्रतिवादी संख्या 01 को पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नही मिला। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग 1/3–1/3 हिस्से का ईन्द्राज किया जाना आवश्यक अन्यथा भविष्य में प्रतिवादी संख्या वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगा तथा वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 01 को इस बाबत् कहने पर सहमत नही होने से वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिग्री फरमाई जावें कि मौजा ठाकरडा (गुलाबपुरा) पटवार हल्का ठाकरडा के खाता संख्या 62 खंसरा सं 354/136 पर वादी नं 01 का 1/3 एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज कर वादीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद दिनांक 15/04/2015 को एकतरफा कार्यवांही के आदेश दिए गए । पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही होने से तनकी कायम नहीं की गई। पत्रावली में वकील वादी द्वारा श्रीमती मीरा पिता थावरा कटारा निवासी ठाकरड़ा का शपथ–पत्र पेश किया गया । पत्रावली में साक्ष्य रूप में संवत् 2053 से 2056 तक की जमाबन्दी की प्रतिलिपि (EX1) संवत् 2067 से 2070 तक की जमाबन्दी की प्रतिलिपि (EX2) संवत् 2070 की खसंरा गिरदावरी की प्रतिलिपि (EX3) श्रीमती हाकेर का ग्राम पंचायत ठाकरडा द्वारा दिनांक 10/01/2015 को जारी मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (EX4) प्रस्तुत की गई ।

पत्रावली में वकील वादी की दिनांक 18/05/2015 को एकतरफा बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया । निर्णय निम्नानुसार है –

उपखण्ड अधिकारी
आनपाड़ा

Scanned by CamScanner

पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत निवेदन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई–बहन है तथा मौजा गुलाबपुरा पटवार हल्का ठाकरडा में खाता संख्या 62 खसंरा संख्या 354/136 रकबा 10 बीधा विरासती कृर्षि भूमि स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 01 व वादीगण के माता–पिता की मृत्यू के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयूक्त खातेदारी में दर्ज न होकर सिर्फ प्रतिवादी संख्या के खाते में दर्ज हो गई अतः ईन्द्राज दुरस्ती कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का संयूक्त खातेदार काश्तकार द्योषित किया जावें।

पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। जो संवत् 2053–2056 की जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 01 एवं वादीगण के पिता थावरा पिता नाथीया भील के नाम दर्ज है । पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी विरासती है अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता की मृत्यू पश्चात तीनों वारिसान के नाम संयूक्त खातेदारी दर्ज होना आवश्यक है परन्तु सहवन से दर्ज न होकर सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई ।

अतः पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर मौजा गुलाबपुरा पटवार हल्का ठाकरडा के खाता संख्या 62 खसंरा न 354/136 रकबा 10 बीधा का वादी संख्या 01 व 02 को 1/3–1/3 हिस्सें का प्रतिवादी संख्या 03 के साथ संयूक्त खातेदार काश्तकार द्योषित किया जाता है। इस आशय की डिग्री जारी हो । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner